भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।) प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद–देहरादून के मसूरी स्थित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत (आरकेडिया जोन) में एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.020है0 नोटिफाईड प्राईवेट फारेस्ट भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	0.020 है0 नोटिफाईड प्राईवेट फारेस्ट भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.020 है0 आरकेडिया जोन अन्तर्गत नोटिफाईड प्राईवेट फारेस्ट भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल. –2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित कार्य स्थल पर कौल प्रजाति के विभिन्न व्यासवर्ग के मात्र 03 वृक्ष अवस्थित है। जिसमें से एक वृक्ष बाधित /प्रभावित होना निहित है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा भू–वैज्ञानिक की आख्या प्रस्ताव के संलग्नक–34 व 35 पर चस्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित एस0टी0पी0 हेतु निर्माण कार्य आरकेडिया जोन अन्तर्गत नोटिफाईड प्राईवेट फारेस्ट भूमि की सीमा अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत् प्रस्तावक एंव वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक – 21 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	——नहीं——
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत् प्रस्तावक, राजस्व एंव वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ सं0– 40 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक, राजस्व एंव वन विभाग द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र – 26 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	– नहीं–
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित नोटिफाईड प्राईवेट फारेस्ट वन भूमि 1.00 है0 से कम है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राविधान नहीं किया गया है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित नोटिफाईड प्राईवेट फारेस्ट वन भूमि 1.00 है0 से कम है। अतः प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कार्य स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक 28ए पर चस्पा है। भू–खण्ड पहाडी है। वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल परियोजना क्षेत्र से लगभग 6.50 किमी0 है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।

(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	**प्रजातियां:–** जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। **कार्यान्वयन एजेन्सी:–** स्वयं वन विभाग। **समय:–** उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। **लागत:–** प्रस्तावित कार्यस्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु रू0 1,10,000.00 (रू0 एक लाख दस हजार मात्र) का प्राक्कलन संलग्नक 28ए पर चस्पा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्तावित कार्यस्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु रू0 1,10,000.00 (रू0 एक लाख दस हजार मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रस्तावित कार्यस्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण का प्राक्क्लन प्रमाणित कर चस्पा किया गया है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 ;गपए गपपद्धए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों/ फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एंव प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19–02–2015 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक–18 पर चस्पा किया गया है।
12.	विभाग / जिला प्रोफाइल	जिला– देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088.00 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2116.00 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 109 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 256.0708है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 180.8423 है0 है।
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :– (ख) वनेतर भूमि पर:–	(क) 395.8194 है0 / 622.9106 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:– (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1– 285.98 /504.88 है0 में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एंव प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक: 23.. 4– 2018।

नाम:– (कहकशां नसीम)

प्रभागीय वनाधिकारी

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

स्थान:– मसूरी,